राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 25(01)ग्रावि/नरेगा/11–12 जयपुर, दिनांक : 19 SEP 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना,
अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद एवं उदयपुर।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की व्यय की सूचना भिजवाने बाबत।**

प्रसंगः **इस कार्यालय का पत्र दिनांक 14.09.17**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतो में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। कृपया उपरोक्त वित्तीय वर्ष में 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार पर हुए **व्यय की सूचना** तीन दिवस में विभागीय ई–मेल पर प्रेषित करने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा लिखा गया था, परन्तु सूचना अभी तक प्रेषित नहीं की गई है। अतः उक्त सूचना अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें। उक्त सूचना भारत सरकार महात्मा गांधी नरेगा डिविजन को सीए रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जानी है। जिला उदयपुर द्वारा खैरवा जनजाति के लिए 100 दिन के अतिरिक्त रोजगार के व्यय की 2016–17 की सूचना भी प्रेषित नहीं की गई है। अतः उक्त सूचना भी अविलम्ब प्रेषित करावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,

(राधेश्याम मीना)
वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद एवं उदयपुर।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद एवं उदयपुर।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

Scanned by CamScanner